

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण, निबंधित आरा मिल मालिकों एवं निबंधित प्रकाष्ठ डीपू मालिकों को सूचित किया जाता है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत वन प्रक्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के प्रकाष्ठ/चिरान काष्ठ आदि भंडारित है कि " जिस स्थिति में है" के आधार पर लॉटों की बिक्री हेतु आम नीलामी के लिए तिथि 02.05.2026 को 3:00 बजे अपराह्न में निर्धारित की गई है जो निम्नवत है:-

क्र०सं 0	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रकाष्ठ का अवस्थित स्थल का नाम	लॉट सं०/वर्ष	प्रजाति	No. of Pieces	आयतन (in Cubic Meter)
1	3		5	6	8	
1	जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र	जमुआ (जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र)	01/2024	जामुन	03	1.245
				नीम	02	0.275
				कटहल	01	0.111
				अकेशिया	03	0.211
				करंज	01	0.111
						1.954
2	जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र	जमुआ (जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र)	02/2024	कटहल	03	1.688
				सेमल	02	0.382
				आसन	01	0.304
				चिलबील	02	0.347
						2.721
3	जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र	जमुआ (जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र)	03/2024	कटहल	03	0.703
				गम्हार	02	0.347
				अंजन	03	0.673
				सेमल	02	0.796
						2.519
4	धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र	धनवार (धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र)	04/2024	सेमल चौरान	2	0.436
				लिप्टस	02	0.612
				जामुन	01	0.415
						1.463
5	जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र	जमुआ (जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र)	05/2024	अकेशिया	07	1.799
				गम्हार	04	2.094
				चिलबील	04	1.991
				अंजन	02	0.510
				कटहल	04	1.148
						7.541



6	जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र	जमुआ (जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र)	06/2024	अकेशिया	09	0.232
				गम्हार	03	0.135
				वरगद	01	0.310
				चीरान कटहल	05	0.100
				चीरान वरगद	09	0.080
						0.856
7	डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	डोमायडीह (डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र)	01/2025	लिपटस चीरान	10	0.165
				जामुन चीरान	04	0.047
				शीशम	02	0.619
				कटहल	02	0.283
						1.115
8	डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	डोमायडीह (डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र)	02/2025	शीशम	02	0.223
				कटहल	03	0.325
				कटहल चीरान	15	0.213
						0.761
9	डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	डोमायडीह (डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र)	03/2025	चिलबील	2	0.223
				कटहल	2	0.283
				कटहल चीरान	1	0.004
						0.510
10	डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	डोमायडीह (डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र)	04/2025	चिलबील चीरान	15	0.248
				लिपटस चीरान	20	0.079
				चिलबील	10	1.115
						1.441
11			05/2025	गम्हार	14	2.379
12			06/2025	आम	09	7.741
13	धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र	धनवार (धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र)	07/2025	कटहल	01	0.245
				अकेशिया	02	0.118
				शीशम	02	0.122



				चीरान लिप्टस	10	0.031
				चीरान शीशम	03	0.146
						0.662
14	धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र	धनवार (धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र)	08/2025	शीशम	06	0.403
				चीलवील	05	0.653
				सेमल	02	0.249
				गम्हार	03	0.085
						1.390
15	धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र	धनवार (धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र)	09/2025	नीम	03	0.415
				ऐकशिया	05	0.468
				शीशम	02	0.264
				चीरान वरगद	12	0.131
				चीरान लिप्टस	05	0.048
						1.326
16	धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र	धनवार (धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र)	10/2025	सेमल	04	1.855
				लिप्टस	01	0.639
				चिरान लिप्टस	10	0.031
						2.525
17	धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र	धनवार (धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र)	11/2025	शीशम	03	0.551
				चीरान शीशम	10	0.031
						0.582
18	धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र	धनवार (धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र)	12/2025	चीरान अकेशिया	03	0.033
				चीरान लिप्टस	01	0.012
				कटहल	02	0.619
				अकेशिया	01	0.025
				शीशम	10	0.384
						1.073
19	धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र	धनवार (धनवार वनरोपण प्रक्षेत्र)	13/2025	अकेशिया	02	1.297
				चीरान लिप्टस	10	0.276
						1.573
20	डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	डोमायडीह (डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र)	14/2025	साल	03	0.382
21	जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र	जमुआ (जमुआ वनरोपण प्रक्षेत्र)	15/2025	साल	10	1.158



22	डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	डोमायडीह (डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र)	16/2025	साल	03	0.382
23	डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	डोमायडीह (डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र)	17/2025	साल	11	1.168
24	डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	डोमायडीह (डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र)	18/2025	साल	03	0.382
25	डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	डोमायडीह (डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र)	19/2025	अकेशिया	26	0.368
26	डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	डोमायडीह (डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र)	20/2025	साल	03	0.382
27	डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	डोमायडीह (डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र)	21/2025	साल	05	0.637
28	डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	डोमायडीह (डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र)	22/2025	साल	04	0.510
29	डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र	डोमायडीह (डोरण्डा वनरोपण प्रक्षेत्र)	23/2025	साल	05	0.637

नीलामी में सम्मिलित होने के लिए गेट मनी के रूप में 5000/- (पाँच हजार रुपये) नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा वन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल के पदनाम से निर्गत एवं भारतीय स्टेट बैंक, गिरिडीह में भुगतये हो समर्पित करना होगा।

किसी भी दिन कार्यालय अवधि में संबंधित प्रक्षेत्र में जहाँ प्रकाष्ठ मंडारित है का निरीक्षण किया जा सकता है। प्रचय सूची नीलामी के समय उपलब्ध होगी। अपरिहार्य कारणवश नीलामी की निर्धारित तिथि में परिवर्तन भी की जा सकती है।


 अंकित कुमार सिंह, भा0व0से0
 वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
 गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल।




कार्यालय- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल



मोहनपुर, पोस्ट-पचम्बा, जिला-गिरिडीह - 815316

फोन नं०- 06532-227847 मोबाईल नं०- 8987790308 ई-मेल :- dfo-giridihwest@gov.in, dfogiridihwest@gmail.com

निलामी की शर्तें

1. निलामी में वैसे व्यक्ति भाग लेंगे जिनका जी०एस०टी० में निबंधन कर लिया गया है।
2. निलामी में गेट मनी के रूप में 5000/- (पाँच हजार रुपये) नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट (जो वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल के पदनाम से निर्गत एवं गिरिडीह में भुगतये) पैन कार्ड तथा जी०एस०टी० निबंधन की छाया प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात निलामी में भाग लेंगे।
3. सर्वोपरि बोली लगाने वाले व्यक्ति को निलामी में क्रय मूल्य का 20 प्रतिशत राशि तुरन्त जमा करना अनिवार्य होगा। अवशेष राशि जो बैंकर्स चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेंगे। जिसके संबंध में अलग से पत्र निर्गत कर सफल क्रेता को सूचना दी जायगी।
4. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी भी दिन वन परिसर में लॉटों का अवलोकन कर सकते हैं। लॉट विवरणी प्रमण्डलीय कार्यालय, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।
5. लकड़ियों के क्रय मूल्य के अतिरिक्त अन्य कर (CGST, SGST तथा आयकर) क्रेता द्वारा अलग से जमा कर संबंधित प्रमाण-पत्र प्रमण्डलीय कार्यालय, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल में जमा करेंगे।
6. प्रमण्डलीय कार्यालय, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल द्वारा क्रेता से क्रय मूल्य एवं सेस की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त की जायगी।
7. निलामी में सर्वोपरी बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित अवधि तक शेष राशि जमा नहीं करने की स्थिति में पूर्व में जमा की गयी राशि को Forfeit कर लिया जायगा।
8. इस बिक्री से संबंधित कोई भी न्यायिक मामला झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में ही किया जा सकेगा।
9. निलामी की तिथि में परिवर्तन एवं रद्द करने की शक्ति वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल को होगा।

Andit Kishor
22/4/22

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल।

AK